भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3588

10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फाइटो सेनेटरी सर्टिफिकेट को जारी करने में विलंब

3588. श्री हंस राज हंसः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नियामक प्राधिकरण, प्लांट प्राटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज (डीपीपीक्यूएस) निदेशालय द्वारा जो निर्यात से पहले कृषि उत्पादों में कीटनाशकों का निरीक्षण करता है जिसमें फल और सब्जियां जैसे पत्तेदार सब्जियां, भारतीय नींबू वंश, ओकरा आदि सम्मिलित हैं को पीएससी (फाइटो सेनेटरी सर्टिफिकेट) जारी करने में कोई देरी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या देश के निर्यातक, किसानों द्वारा उत्पादित अधिशेष उत्पादन का दोहन करने में सक्षम हैं क्योंकि यूरोपीय संघ में पत्तेदार सब्जियों की भारी मांग की अभी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएस) के तहत पौध संगरोध स्टेशनों द्वारा पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र (पीएससी) जारी करने में कोई देरी नहीं होती है। पौध संगरोध स्टेशन कृषि जिसों में कीट, रोग, खरपतवार इत्यादि की जांच करते हैं। नर्सरी पौध, टिश्यू कल्चर, ताजे फल, सब्जियां, तराशे गए फूल इत्यादि जैसे जल्दी खराब होने वाले जिंसों का प्रमाणीकरण 24-48 घंटे की अधिकतम अवधि के भीतर किया जाता है तथा खेप, जिसके लिए उपचार के रूप में धूमन अपेक्षित होता है, 03 दिन के भीतर प्रमाणित की जाती है।

अपूर्ण दस्तावेजों के साथ अथवा भुगतान शुल्क के बिना किए गए आवेदनों, भार/क्रेता/गंतव्य स्थल में परिवर्तन के कारण, आयातक देशों की प्रामाणिक पादप स्वच्छता आवश्यकता की अनुपलब्धता के कारण, निरीक्षण हेतु खेप तैयार नहीं किए जाने, में धूमन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लिए गए समय के कारण ही देरी होती है। कुछ मामलों में, आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण हेतु नमूने प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं।

स्टेशन स्तर पर निर्यातक/आयातक/सीएचए/उपचार प्रदाताओं सहित हितधारकों की बैठक आयोजित की जाती है ताकि ऐसे प्रक्रियागत मामलों का समाधान किया जा सके। इसके अलावा डीपीपीक्यूएंडएस पर समयसीमा के प्रोटोकॉल की भी नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ग) अपेडा द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपियन संघ के निर्यात किए गए ताजे फलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यातित मात्रा (एमटी में)	मूल्य (रू. करोड़ में)
2016-17	20,424.79	190.10
2017-18	20,439.44	209.94
2018-19	20,699.25	241.13

******